राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प. 12(4) परि/सांख्य/08 जयपुर, दिनांक 02-02-09

कार्यालय आदेश 03/09

विभाग के कार्यों में पारदर्शीता, उत्तरदायित्व और जनमैत्रीय सरकार की स्थापना के अन्तर्गत शासन के सभी स्तरों पर आम नागरिकों को जवाबदेह और पारदर्शी सेवायें सुनिश्चित करने तथा नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षार्थ नागरिक अधिकार पत्र दिनांक 09.09.99 को जारी किया गया था। इसके पश्चात संशोधित नागरिक अधिकार पत्र माह मई 2006 में जारी किया गया था।

नागरिक अधिकार पत्र की समय–समय पर समीक्षा की जाती है एवं दिये गये प्रावधानों की मासिक क्रियान्विति रिपोर्ट मासिक प्रगति प्रतिवेदन की तालिका संख्या 18 में मंगवाई जाती है। विभिन्न जिलों में निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि परिवहन कार्यालयों में आम जनता से जुड़े कार्यों के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति तिथि रजिस्टर मे दर्ज करने एवं कार्य निस्तारण की तिथि अंकित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कार्य का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया गया या नहीं। कई कार्यालयों में लिपिक के पास पुरानी अवधि में तैयार किये गये चालक लाइसेंस, वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि पाये गये। मासिक प्रतिवेदन में किसी भी कार्य को निर्धारित अवधि के बाद किया जाना अंकित नहीं किया जाता है।

अतः आम नागरिक से प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्रों को रजिस्टर में तिथिवार दर्ज किया जावे तथा नागरिक अधिकार पत्र में निर्धारित अवधि में कार्य निस्तारण किये जाने की तिथि का भी अंकन किया जावे। इस कार्य का

निरीक्षण सक्षम अधिकारी एवं उच्चाधिकारी समय-समय पर करते रहे। भविष्य में यदि कोई प्रकरण पाया गया तो न केवल लिपिक के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी, बल्कि सक्षम अधिकारी एवं उच्चाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जावेगा।

परिवहन आयुक्त एवं
शासन सचिव

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
4. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
5. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
6. समस्त अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
7. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)